न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 07 / 2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मयूर परमार पुत्र श्री जेठाभाई परमार जाति हिन्दु वणकर निवासी 122-1 वणकर वास चेनपुर गांव नियर आईओसी, जगतपुर पीएस साबरमती जिला अहमदाबाद गुजरात।
2. श्री मुनाफखान पुत्र श्री मेहताबखान जाति विहारी मुसलमान निवासी देथली गांव तालुका सिद्धपुर जिला पाटन गुजरात।
3. श्री साहिल खान पुत्र श्री सोराबखान विहारी निवासी विहारीवास, देथली गांव तालुका सिद्धपुर जिला पाटन गुजरात।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी, सिरोही
2. श्री भगवतसिंह देवडा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक 15.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2020 को श्री शंकरलाल उनि. थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री ने उपाधीक्षक पुलिस वृत रेवदर को सूचना दी कि सवराटा से मेर माण्डवाडा के बीच एक खेत में गुजरात से डीजल भरकर एक टैंकर चालक टैंकर लेकर आया है जो यहां अवैध तरीके से बेचने के फिराक में है, कार्रवाई हेतु आवें। उक्त सूचना पर उपअधीक्षक पुलिस व अन्य पहुंचें। मौके पर एक टैंकर नम्बर जीजे 06 जेडजेड 6457 जिसमें करीबन 12000 लीटर डीजल भरा हुआ था। उक्त डीजल के बारे में अप्रार्थीगण द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उक्त डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विरतृत बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 21.12.2020 को श्री शंकरलाल उनि. थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री ने उपाधीक्षक पुलिस वृत रेवदर को सूचना दी कि सवराटा से मेर माण्डवाडा के बीच एक खेत में गुजरात से डीजल भरकर एक टैंकर चालक टैंकर लेकर आया है जो यहां अवैध

जिला कलेक्टर, सिरोही

तरीके से बेचने के फिराक में है, कार्रवाई हेतु आवें। उक्त सूचना मिलने पर उपअधीक्षक पुलिस व अन्य मौके पर पहुचें तो रूपाराम के खेत पर जहां श्री शंकरलाल उ.नि. पुलिस थाना कालन्द्री मय जाब्ता तथा एक टैंकर जीजे 06 जेडजेड 6457 इण्डियन ऑयल कम्पनी का व जीजे 03 एचई 0570 व जीजे 03 ई 5720 बोरवेल की गाडियां व प्रभाराम और 5–7 व्यक्ति खडे मिले। मौके पर खडे श्री शंकरलाल उ.नि. पुलिस थाना कालन्द्री व श्री प्रभाराम पुरोहित से मालूम किया तो श्री प्रभाराम ने बताया कि टैंकर नम्बर जीजे 06 जेडजेड 6457 में उसका चालक गुजरात से अवैध तरीके से बायो डीजल भरकर हमारे हल्के में निम्न गुणवत्ता का बिना अनुज्ञापत्र के अवैध तरीके से बेचान करने की फिराक में है, जो हमें देखकर चालक भाग गया। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों में से श्री सोनाराम पुत्र श्री हकमाजी जाति देवासी निवासी बलाना पुलिस थाना सुमेरपुर व कानि. ओमप्रकाश नम्बर 422 को मौतबीर मामूर कर रूबरू मौतबीरान के उक्त टैंकर को पुलिस कब्जे लेकर अवलोकन करने पर मालूम हुआ कि उक्त टैंकर में तीन कम्पार्ट थे, जिसमें तीनों ही कम्पार्टों में 4000–4000 लीटर कुल 12000 लीटर डीजल भरा हुआ था, जिसके तीनों ही कम्पार्टों के ढक्कन अलग–अलग थे जिन पर किसी भी प्रकार की कोई सील नहीं थी। टैंकर की टंकी के साईड में तीन वाल लगे हुए थे, जो लॉक या सील नहीं किए हुए पाए गए। अतः इस प्रकार करीबन 12000 लीटर डीजल टैंकर में भरा हुआ था, जिसे प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थीगण की ओर अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि दिनांक 21.12.2020 को थानाधिकारी शंकरलाल ने गलत तरीके से माल को सीज किया है, जो शंकरलाल को जब्त करने का पॉवर भी नहीं था, जिसने गलत तरीके से माल को सीज किया है। अप्रार्थीगण के पास बिल शुदा माल था फिर भी बिल बताने पर भी गलत तरीके से माल बताकर टैंकर जब्त किया है जो विधि विरूद्ध है, इस्तगासा काबिले खारीज है और विधि में चलने योग्य नहीं है। यह कि अप्रार्थीगण के पास डीजल बिल शुदा था, फिर भी परिवादी ने हैरान व परेशान करने के लिए टैंकर को सीज किया है तथा परिवादी शंकरलाल ने बाद में मेल मिलाप कर माल सीज के सीजर मीमो पर बाद में वृत्ताधिकारी के हस्ताक्षर करवाये जो सिर्फ अप्रार्थीगण को फंसाने के लिए किया गया। यह कि अप्रार्थीगण की न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की इजलास में जमानत हो चुकी थी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोप को नहीं माना और अप्रार्थीगण की जमानत ले ली थी। यह कि अप्रार्थीगण ने बिल शुदा माल लिया था, जो बोरिंग की मशीनों में चलता है, जिस वजह से फायदे के हिसाब से माल खरीदा था, जिस माल को भीनमाल में पहुंचाना था, जिसका निम्न अनुसार बिल व रूट परमीट था। यह कि अप्रार्थीगण ने अनुसंधान के दौरान पुलिस को सारे बिल और गाडी के कागज बता दिये थे, लेकिन प्रार्थी ने कानून को हाथ में लेकर उक्त बिन्दु पर गौर न करके अप्रार्थीगण को गिरफ्तार किया तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी न मानकर अप्रार्थीगण की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने स्वीकार कर ली, इसके बावजूद भी प्रार्थी थानाधिकारी ने गलत रूप से गिरफ्तार किया। प्रार्थी का इस्तगासा विधि में चलने योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थी शंकरलाल उप निरीक्षक ने प्रभाराम पुरोहित परिवादी का

जिला कलेक्टर, सिरोही

सहारा लेकर तथ्यों को छिपाकर स्वयं द्वारा टैंकर सीज किया था, जिसे वृत्ताधिकारी रेवदर के सुबह हस्ताक्षर कर माल को मय टेंकर सीज कर दिया। यह कि अप्रार्थी ने तेल कम्पनी मैसर्स फिजान एन्टर प्राईजेज खेरालू (मेहसाणा) से मैसर्स भवानी ट्यूब वेल प्रो. महेन्द्र सिंह निवासी कोडिटा, तहसील भीनमाल, जिला जालोर लेकर बिल शुदा था, इसके बावजूद भी पुलिस ने जब्त कर कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का इस्तगासा मय खर्चे से खारिज करना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2020 को श्री शंकरलाल उनि. थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री ने उपाधीक्षक पुलिस वृत रेवदर को सूचना दी कि सवराटा से मेर माण्डवाडा के बीच एक खेत में गुजरात से डीजल भरकर एक टैंकर चालक टैंकर लेकर आया है जो यहां अवैध तरीके से बेचने के फिराक में है, कार्रवाई हेतु आवें। उक्त सूचना मिलने पर उपअधीक्षक पुलिस व अन्य मौके पर पहुचें तो रूपाराम के खेत पर जहां श्री शंकरलाल उ.नि. पुलिस थाना कालन्द्री मय जाब्ता तथा एक टैंकर जीजे 06 जेडजेड 6457 इण्डियन ऑयल कम्पनी का व जीजे 03 एचई 0570 व जीजे 03 ई 5720 बोरवेल की गाडियां व प्रभाराम और 5–7 व्यक्ति खडे मिले। मौके पर खडे श्री शंकरलाल उ.नि. पुलिस थाना कालन्द्री व श्री प्रभाराम पुरोहित से मालूम किया तो श्री प्रभाराम ने बताया कि टैंकर नम्बर जीजे 06 जेडजेड 6457 में उसका चालक गुजरात से अवैध तरीके से बायो डीजल भरकर हमारे हल्के में निम्न गुणवत्ता का बिना अनुज्ञापत्र के अवैध तरीके से बेचान करने की फिराक में है, जो हमें देखकर चालक भाग गया। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों में से श्री सोनाराम पुत्र श्री हकमाजी जाति देवासी निवासी बलाना पुलिस थाना सुमेरपुर व कानि. ओमप्रकाश नम्बर 422 को मौतबीर मामूर कर रूबरू मौतबीरान के उक्त टैंकर को पुलिस कब्जे लेकर अवलोकन करने पर मालूम हुआ कि उक्त टैंकर में तीन कम्पार्ट थे, जिसमें तीनों ही कम्पार्टो में 4000–4000 लीटर कुल 12000 लीटर डीजल भरा हुआ था, जिसके तीनों ही कम्पार्टो के ढक्कन अलग–अलग थे जिन पर किसी भी प्रकार की कोई सील नहीं थी। टैंकर की टंकी के साईड में तीन वाल लगे हुए थे, जो लॉक या सील नहीं किए हुए पाए गए। अतः इस प्रकार करीबन 12000 लीटर डीजल टैंकर में भरा हुआ था, जिसे प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया करीबन 12000 लीटर डीजल, जो टैंकर नम्बर जीजे 06 जेडजेड 6457 में भरा हुआ था, किसान एण्टरप्राईजेज खेरालू, मेहसाणा गुजरात का था, जिसके बिल की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अलावा माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश सिरोही द्वारा उक्त कब्जेशुदा डीजल को किसान एण्टरप्राईजेज खेरालू, मेहसाणा गुजरात के मालिक श्री अफजल खां पुत्र श्री इब्राहिमखां निवासी विहानवास देथली तहसील सिद्धपुर जिला पाटन को लौटाया जाना उचित माना है। अतः टैंकर में भरे हुए करीबन 12000 लीटर डीजल को उसके स्वामी को लौटाया जाना न्याय संगत होगा।

चूंकि टैंकर नम्बर जीजे 06 जेडजेड 6457 में भरा हुआ करीबन 12000 लीटर डीजल को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2021 को उसके मालिक श्री अफजल खां पुत्र श्री इब्राहिमखां निवासी विहानवास देथली तहसील सिद्धपुर जिला पाटन को रूपए एक लाख की बैंक गारन्टी एवं 4,55,000 की जमानत पर दिए जाने का आदेश

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलक्टर, सिरोही

दिया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तथा टैंकर नम्बर जीजे 06 जेडजेड 6457 में भरा हुआ करीबन 12000 लीटर डीजल के सम्बन्ध में डीजल मालिक द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी नम्बर 3224आईजीएफ000921121 जो दिनांक 24.03.2021 को बैंक ऑफ बडौदा द्वारा श्री विहारी अफजलखान इब्राहिमखान के नाम जारी की गई थी, को रिलीज किया जाता है। उक्त बैंक गारन्टी मूल ही उसके मालिक को लौटाई जाकर उसकी प्रति बतौर अभिलेख पत्रावली में रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही